ओंकार - ईसरराम अपील नं. 108/13

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.7.18	पत्रावली वास्ते आदेश [illegible] पत्र हेतु पेश। प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र में कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट नं0-1 ईसरराम पुत्र भैंरूराम का देहान्त दिनांक 31-7-2016 को हो गया किन्तु अपीलान्ट ने आज दिनांक तक उसके वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की है ईसरराम के वारीसान में [illegible] व अन्य पुत्र घीसाराम, [illegible] व पत्नी बाहुदेवी है। अतः प्रार्थी के हित में	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	निहित है । प्रस्तुत अपील के समुचित निर्णय व प्रार्थी के हिता की रक्षा हेतु प्रार्थी व मृतक ईसरराम के उपरोक्त वर्णित वारिसान को ईसरराम के स्थान पर बतौर कायम मुकाम पक्षकार सुनियोजित किया जावे। तथा अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक तक अपीलान्ट द्वारा कायम मुकाम नहीं करने के कारण अपील अबैट हो चुकी इस कारण अपील को खारिज किया जावे । बहस के समर्थन में आरएलडब्लू 2005(1)राज0 पेज 443 प्रस्तुत की । विद्वान वकील अप्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस प्रा0 पत्र में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट की जिम्मेदारी थी की वह रेस्पोडेन्ट संख्या-1 की मृत्यु की सूचना आदेश-22 नियम-10 सीपीसी के तहत न्यायालय में पेश करते। इन्होने रेस्पोडेन्ट सं0-1 की मृत्यु की सूचना नहीं दी ।इस कारण इनका प्रार्थना पत्र अबैटमेन्ट का खारिज किया जावे तथा प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाता है तो अपीलान्ट को कोई ऐतराज नहीं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अबैटमेन्ट का खारिज किया जावे विद्वान वकील ने जो नजीर पेश की है। उसके तथ्य भिन्न है । प्रस्तुत प्रकरण में अबैटमेन्ट का समय निकल चुका प्रस्तुत प्रकरण में अबैटमेन्ट का समय नहीं निकला है ।अतः प्रार्थना पत्र अबैटमेन्ट को खारिज किया जावे ।	

बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र बहस का अवलोकन किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 एवं अपीलान्ट एक ही गांव के रहने वाले है तथा रेस्पो0 सं0-1 का हाल आबाद जूलियासर दर्ज किया है वह भी सालासर से ज्यादा दूर नहीं है । ईसरराम की मृत्यु दिनांक 31-7-2016 को हो गई और अपीलान्ट को को आज दिनांक तक मालूम नहीं चला मानने योग्य नहीं है । रेस्पोडेन्ट सं0-1 के पुत्र शंकरलाल पुत्र ईसरराम ने जरिये वकील यह प्रार्थना पत्र आदेश-1

भूप्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	

नियम-10 सीपीसी का दिनांक 23-1-18 को पेश किया जिसको पेश किये की कायम मुकमा पेश करने एवं उपशमन का समय भी निकल चुका है ।अपीलान्ट ने आज दिनांक तक कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की जिससे अपीलान्ट की अपील कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं किये जाने से अपील का उपशमन हो गया जिससे अपील अबैट हो चुकी जैसा प्रस्तुत नजीर आरएलडब्लू 2005(1)राज0 पेज-143 में स्पष्ट है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश-1 नियम-10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 की कायम मुकाम कार्यवाही समय पर नहीं किये जाने से यह अपील अबैट हो गई अपील अबैट होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सुनाया गया ।

5/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर